# कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in


पत्र संख्या- 325/2025

## प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 08.09.2025

*हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़* के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 08.09.2025 को *थाना जहानागंज पुलिस द्वारा 12 घण्टे के भीतर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए, घटना कारित करने वाले तीनों अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया।*

## *थाना-जाहनागंज*

## *12 घण्टे के भीतर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए, घटना कारित करने वाले तीनों अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू के साथ गिरफ्तार*

### *पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-*

दिनांक 08/09/2025 को वादी सागर राम पुत्र सतई राम, निवासी ग्राम धनारबाँध, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी के गाँव के ही तीन अभियुक्तों 1.आशुतोष उर्फ आंशू पुत्र स्व0 रामअवध राम, 2. श्रवण कुमार पुत्र भगेलू राम, 3. राजेन्द्र पुत्र निरहू राम, निवासीगण धनारबाँध थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर वादी के लडके जयहिन्द उम्र करीब 22 वर्ष की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दिये है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 278/25 धारा 103(1) बीएनएस बनाम अभियुक्त उपरोक्त आदि 03 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

### *गिरफ्तारी का विवरणः-*

आज दिनांक 08.09.25 को थानाध्यक्ष अतुल कुमार मिश्र मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित तीनों अभियुक्तों 1.आशुतोष उर्फ आंशू पुत्र स्व0 रामअवध राम, 2. श्रवण कुमार पुत्र भगेलू राम, 3. राजेन्द्र पुत्र निरहू राम, निवासीगण धनारबाँध थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को सुहेलदेव यूनिवर्सिटी मोड़ आजमबाँध के पास से समय करीब 07.30 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर गाँव के बाहर सूनसान में स्थित धान के खेत से घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

### *पूछताछ का विवरण-*

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में जुर्म स्वीकार करते हुये अभियुक्त विजय उर्फ राजेन्द्र द्वारा बताया गया कि जयहिन्द जो कि मेरे गाँव का है जो मेरी लड़की से बातचीत किया करता था। मेरे द्वारा कई बार जयहिन्द को उससे बात करने से मना किया गया था लेकिन वह नहीं माना और बातचीत जारी रखा, तो मैनें अपर भजीजे श्रवण व उसके दोस्त आशुतोष के साथ योजना बनाकर गांव के बाहर सुनसान में स्थित धान के खेत मौका पाकर जयहिन्द को गिराकर अपने साथ रखे चाकू से उसका गला रेत दिया।

### *पंजीकृत अभियोगः-*

01. मु0अ0सं0 278/25 धारा 103(1) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़

### *गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक इतिहासः-*

1. आशुतोष कुमार उर्फ आंशु पुत्र स्व0 रामअवध राम, निवासी धनारबाँध, थाना जहानागंज, आजमगढ़, उम्र 22 वर्ष
2. श्रवण कुमार पुत्र भगेलू उर्फ राजेश कुमार, निवासी धनारबाँध, थाना जहानागंज, आजमगढ़, उम्र 23 वर्ष
3. राजेन्द्र उर्फ विजय कुमार पुत्र स्व0 निरहू राम, निवासी धनारबाँध, थाना जहानागंज, आजमगढ़, उम्र करीब 47 वर्ष

## *बरामदगी:-*

घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू

## *गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-*

**01.** थानाध्यक्ष अतुल कुमार मिश्रा, थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

02. व0उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार यादव, थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

03. हे0का0 सियाकान्त यादव, थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

04. हे0का0 अनिल कुमार, थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

05. का0 अनिल कुमार, थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

06. का0 संदीप पाल, थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

07. का0 राशिद थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

उत्तर प्रदेश पुलिस